न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 29/2019 तारीख रजू 29.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. कैलाश चंद गर्ग पुत्र प्रहलाद गर्ग जाति महाजन (विक्रेता व मालिक)–फर्म–मोहनलाल कैलाश चंद मैन बाजार मित्रपुरा निवासी जैन मोहल्ला मित्रपुरा तहसील बौंली।
2. शिमला देवी गुप्ता पत्नि श्री गोपाल लाल गुप्ता (मालिक)–निर्माता फर्म–गोविन्द इण्डस्ट्रीज एच–155, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया आईआईडी सेन्टर निवाई जिला टोंक निवासी प्लाट नम्बर 40 जैन कॉलोनी झिलाय रोड निवाई । .... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 04/08/2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11.10.2018 को समय 2.00 पी.एम.पर मोहनलाल कैलाशचंद मैन बाजार मित्रपुरा पर पहूँचा वहा पर कैलाश चंद गर्ग पुत्र प्रहलाद गर्ग (फर्म मालिक) उपस्थित मिला को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पेक के लगभग 6 पैकिट दुकान विक्रय हेतु रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ लाल मिर्च

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested

(गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) पैक के क्रमय बिल की प्रति बाद में पेश करने का निवेदन किया तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना की प्रति पेश की तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 300 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर 500 ग्राम पैक के 04 पैक को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1500 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कैलाश चंद गर्ग ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2018/4064 दिनांक 31.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 586/ एफएसएसएल/ कोटा/एक्ट/2018/ 635 दिनांक 26.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested

जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zi)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) का विक्रय एव निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वंय उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त को नियमो की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी का सेम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है। तथा उक्त प्रोडक्ट्स में सुधार कर लिया गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण को न्यूनत्तम पेनल्टी राशि लगाकर प्रकरण को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोट से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 586 एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/635 दिनांक 26.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उलघंन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर 5000/– रूपये (अक्षरेः पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested